स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

क्रमांक : प.4(1-आर)( )स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/2022/ 234 दिनांक : 22.06.2022 30

कार्यालय आदेश

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर, द्वारा जारी आक्षेप संख्या 32 जो विश्वविद्यालय की इकाइयों द्वारा जांच दल के समक्ष प्रस्तुत लेखा अभिलेखो के आधार पर आलौच्य अवधि 2019-20 के आयकर (टी.डी.एस.) कटौती का अभाव से संबन्धित अंकेक्षण टिप्पणी है। उक्त आक्षेप के माध्यम से यह प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया गया है कि विश्वविद्यालय मे सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 105 के अनुसार एवं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-C के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु अनुबंधित फर्मो / दर संविदा फर्मो के भुगतान से प्रावधानों के अनुसार आयकर (टी.डी.एस.) की कटौती नहीं की गई है जो गम्भीर अनियमितता है।

अतः विश्वविद्यालय इकाई के समस्त कार्यालयाध्यक्षों / डीडीओ को एतद द्वारा निर्देश जारी किये जाते है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित भुगतान करने पर उपरोक्त आयकर नियमों के अंतर्गत राशि 30000/- रुपये से अधिक एक अवसर पर तथा वित्तीय वर्ष में टुकड़ों में भुगतान राशि 100000/- रुपये से अधिक के भुगतान से भुगतान कर्ता अधिकारी को व्यक्तिगत एवं अविभाजित हिन्दू परिवार के भुगतान से 1 प्रतिशत एवं फर्म एवं अन्य से 2 प्रतिशत की दर से आयकर (टी.डी.एस.) की कटौती कर आयकर मद में जमा कराना आवश्यक है तथा तदनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ती के बाद आइ.टी.आर. फार्म नम्बर 16-ए जारी किया जाये।

उक्तानुसार, जारी इस अति आवश्यक निर्देश की पालना विश्वविद्यालय में सुनिश्चित तौर पर करावे ताकि भविष्य में इस संबंध में हो रही गम्भीर अनियमितताएं से बचा जा सके।

/
(पवन कुमार कस्वाँ)
वित्तनियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/क्षे.निदेशक/प्रभारी अधिकारी/ईओ/डीडीओ।
2. कुलसचिव, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
3. निजी सचिव कुलपति, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
4. कोषाधिकारी, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
5. प्रभारी CIMCA, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर को वि.वि. वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(पवन कुमार कस्वाँ)
वित्तनियंत्रक